(142)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— नीता वसीटा (आर.ए.एस)

मिसल नं. 69/2020 | तारीख दायरा 21.08.2020 | तारीख फैसला 01.04.2024

बउनवान

1. शिवराजसिंह पुत्र श्री चतरसिंह उम्र 64 वर्ष जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
2. दिलीपसिंह पुत्र श्री उम्मेंदसिंह उम्र 57 वर्ष जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
3. करणसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

— वादीगण

बनाम

1. श्रीमति आनन्दकवंर पुत्री श्री चतरसिंह पत्नि श्री भंवरसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी दावदकलां तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ राज0।
2. गजराज कुंवर पुत्री श्री उम्मेंदसिंह पत्नि श्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी पवालिया जयपुर तह0 सांगानेर जिला जयपुर ।
3. ज्ञानकवंर पुत्री श्री शम्भूसिंह पत्नि श्री विरेन्द्र जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी मेंला ग्राउन्ड के पास रेलवे स्टेशन के पास श्योपुर जिला श्योपुर एम0पी।
4. तेजकंवर पुत्री श्री उम्मेंदसिंह पत्नि श्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी पवालिया जयपुर तह0 सांगानेर जिला जयपुर राज0।
5. द्रोपदी पुत्री श्री भरतसिंह जाति राजपूरत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. दीपाबाई पुत्री श्री भारतसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
7. नन्दसिंह पुत्र श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी 14 बंजरग विहार नहर के पास बोरखेडा कोटा राज0।
8. निर्मल कुंवर पुत्री श्री शम्भूसिंह पत्नि श्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी चन्द्रलाय तह0 फागी जिला जयपुर राज0।
9. प्रेमलता पुत्री श्री भारतसंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
10. फुलकंवर बाई पुत्री श्री उम्मेंदसिंह पत्नि श्री करणसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी मोहन जी की बगीची श्योपुर जिला श्योपुर एम0प0।
11. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी गढ़ के पास खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
12. भंवरसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी बछेरी पोस्ट आवदा तह0 श्योपुर जिला श्योपुर एम0पी0।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

13. मोहनसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह जाति राजपूत खातौली उपतह0 हनुमान मंदिर के पास खातोली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
14. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी गढ के पास खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
15. मृतक लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली जर्ये कायममुकाम
   15/1. दौलतकंवर (पुत्री) पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी झकनावदा तह0 पेटलावर जिला झाबुआ एम0पी0।
   15/2. बृजराजसिंह (पुत्र) लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी खातोली हाल निवासी बापू कॉलोनी कुन्हाडी कोटा राज0।
   15/3. प्रवीण कंवर (पुत्री) पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा कोटा राज0।
   15/4. बृजेशसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   15/5. विष्णुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   15/6. किशनसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   15/7. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   15/8. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
16. लाज कवंर उर्फ ताज कंवर पुत्री श्री चतरसिंह पत्नि श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निासी खातौली हाल निवासी फाटक के पास रामगंजमंडी जिला कोटा राज0।
17. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी ख़ातौली हाल निवासी गोयन्दा तह0 रामगंजमंडी जिला कोटा राज0।
18. विष्णु कंवर पुत्री श्री चतरसिंह पत्नि श्री रणजीत सिंह झाला एएसआई जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड के पास झालावाड़ राजव।
19. सज्जनकंवर बाई पुत्री श्री उम्मेंदसिंह पत्नि गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी मोहनजीकी बगीची श्योपुर एम0प0।
20. मृतक सुमेंर कुंवर पुत्री श्री उम्मेंदसिंह राजपूत निवासी खातौली जर्यो कायममुकाम
   20/1. विजयसिंह पुत्र श्री समुद्रसिंह जाति राजपूत निवासी पुराने थाने के सामने विज्ञान नगर कोटा म0न0 14/2 जिला कोटा राज0।
   20/2. देवराजसिंह पुत्र श्री समुद्रसिंह जाति राजपूत निवासी पुराने थाने के सामने विज्ञान नगर कोटा म0न0 14/2 जिला कोटा राज0।
   20/3. कमलेश पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी चौथमात मंदिर के पास दादाबाड़ी कोटा राज0।
   20/4. सतोंश कंवर पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मालवीय नगर मकान न0 46 बूदीं जिला बूदीं राज.।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0

निर्णय

यह कि वाके ग्राम सुमेंरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज. में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 20 के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृशि भूमि स्थित है, जिसके नवीन खसरा न0 55 रकबा 1.08 है0, ख0न0 58 रकबा 1.03है0, ख0न0 59 करबा 0.84 है0, ख0न0 60 रकबा 0.93 है0, ख0न0 61 रकबा 1.19 है0 कुल 5 किता कुल 5.07है0 कृषि भूमियां स्थित है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 20 पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं, उपरोक्त कृषिभूमियों के सेटलमेंट से पूर्व पुरानें ख0न0 11 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा थे। उक्त कृषि भूमियों को आगे वाद पत्र में विवादित कृषि भूमि से सम्बोधित किया गया है। विवादित कृषि भूमि औंकारसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली को संवत 2011 के पूर्व में ठिकाना खातौली द्वारा माफी में दी थी। जो कि नकल जमाबन्दी संवत 2011 से 14 से स्पष्ट है। औंकारसिंह की मृत्यु हो चुकी है। औंकारसिंह के बाद विवादित भूमि शम्भूसिंह, उम्मेंदसिंह, भरतसिंह, चतरसिंह, लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज हुई। उक्त पाचों भाईयों की मृत्यु हो चुकी है, वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 20 उनके विद्यिक वारिसान है। विवादित भूमि पर पूर्व में औंकारसिंह काबिज काश्त थे। उनकी मृत्यु के वाद स्वर्गीय औंकारसिंह के पाचों पुत्र शम्भूसिंह, उम्मेंदसिंह, भरतसिंह, चतरसिंह, लक्ष्मणसिंह काबिज काश्त थे। पाचों भाईयों की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 20 उनके विद्यिक वारिसान है। विवादित भूमि पर पूर्व में औंकारसिंह काबिज काश्त चले आ रहे हैं। कि मृतक शम्भूसिंह के वारिसान के विद्यिक वारिसान वादी क्रम 3 व प्रतिवादी क्रम 3,8,11,12,13,14 है, मृतक उम्मेंदसिंह के विद्यिक वारिसान वादी क्रम 2 व प्रतिवादी क्रम 2,4,10,19 तथा प्रतिवादी क्रम 20/1 ता 20/4 है। मृतक भरतसिंह के विद्यिक वारिसान प्रतिवादी क्रम 5,6,9 है। मृतक चतरसिंह के विधिक वारिसान वादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 1,7,16,17,18 है। मृतक लक्ष्मणसिंह के विधिक वारिसान प्रतिवादी क्रम 15/1 ता 15/8 है। सभी पांचों भाईयों के विधिक वारिसान अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

आ रहे हैं। विवादित कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 20 के पूर्वज संवत 2011 के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। फिर भी राजस्व रिकॉर्ड में संवत 2014 के वाद वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 20 के नाम के आगे खाता सरकार उपकृषक शब्द दर्ज कर दिया है। जिसका कि उनका कोई अधिकार नहीं है। जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 20 व उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही काबिज काश्त है। इस कारण वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 20 को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकि है। इसलिए वादीगण विवादित भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में खाता सरकार उपकृषक शब्द हटवाने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है कि दिनांक 10.06.2020 को वादीगण ने विवादित भूमि में राजस्व रिकॉर्ड से खाता सरकार उपकृषक शब्द हटवाने के लिए श्रीमान् तहसीलदार साहब पीपल्दा से निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा असमर्थता जाहिर कर नियमित वाद दायर करने की हिदायत दी गई। इसलिए श्रीमान के समक्ष नियमित वाद पत्र पेश करने हेतु बाध्य होना पड़ा है। कि वाद कारण दिनांक 10.062020 को श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी क्रम 21 श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा को लेण्ड होल्डर व राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने हेतु 80 सीपीसी के प्रावधानों के तहत 2 माह की मियाद का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। किन्तु वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का है, इसलिए 80 (2) सीपीसी के तहत वाद पत्र प्रस्तुत है। अनुमति प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम सुमेंरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज. में स्थित कृषि भूमियों में नवीन खसरा न0 55 रकबा 1.08 है0, ख0न0 58 रकबा 1.03है0, ख0न0 59 करबा 0.84 है0, ख0न0 60 रकबा 0.93 है0, ख0न0 61 रकबा 1.19 है0 कुल 5 किता कुल 5.07है0 में राजस्व रिकॉर्ड में

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 20 के नाम के आगे दर्ज खाता सरकार उपकृषक शब्द को राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे व वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 20 को खातेदार घोषित किया जावे तथा तदनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादीगण को दी जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीक्रम 5, 6, 8, 9, 15/1, बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी कम 1, 2, 3, 4, 7,10,11,12,13,14,15/2,–15/8, 16, 17, 18, 19, 20/1 से 20/4 द्वारा इकबालिया का जवाब प्रस्तुत कर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुमेरपुरा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता से 13 में ख0सं0 55 रकबा 1.08है0, ख0सं0 58 रकबा 1.03है0, ख0सं0 59 रकबा 0.84है0, ख0सं0 60 रकबा 1.19है0, ख0सं0 61 रकबा 0.93है0, कुल किता 5 कुल रकबा 5.07है0 भूमि नन्दसिंह, विरेन्द्र सिंह, विष्णुकंवर, शिवराजसिंह पुत्रान आनन्दकंवर, लाजकंवर पुत्रियों भंवरबाई पत्नि स्व0 चतरसिंह हि0 7/35 करणसिंह, भगवानसिंह, भंवरसिंह, मोहनसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रान ज्ञानकुंवर, निर्मलकुंवर पुत्रिया भंवरबाई पत्नि स्व0 शम्भूसिंह हि0 8/40 दिलीपसिंह पुत्र गजराजकुवर, तेजकंवर, फूलकंवरबाई, सज्जनकुंवर, सुमेरकुंवर पुत्रियां गुलाबबाई पत्नि स्व0 उम्मेदसिंह हि0 7/35 दीपाबाई, द्रोपदीबाई, प्रेमलता पुत्रियां भरतसिंह हि0 3/15 लक्ष्मणसिंह पुत्र औंकारसिंह पुत्र औंकारसिंह हि0 1/5 जाति राजपूत सा0 खातौली दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त सभी के नाम के आगे खाते में खाता सरकार उपकृषक दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण कब्जा काश्त है। मिलान क्षेत्रफल 2041–2060 अनुसार हल ख0नं0 55 रकबा 1.08है0 के गत ख0सं0 11 मिन हाल ख0सं0 58 रकबा 1.03है0, के गत ख0सं0 11 मिन, हाल ख0सं0 59 रकबा 0.84है0 के गत ख0सं0 11 मिन, हाल ख0सं0 60 रकबा 0.93 के गत ख0सं0 11 मिन, हाल ख0सं0 61 रकबा 1.19है0 के गत ख0सं0 11 मिन से बनना प्रतीत होते है। जमाबन्दी सम्वत् 2011–14/64 के अनुसार ग्राम सुमेरपुरा में गत ख0नं0 11 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा भूमि माफी ऑकारसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति राजपूत सा0 खातौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस जमाबन्दी में उक्त भूमि माफी औंकारसिंह के स्थान पर नामा0 सं0 25 दिनांक 22/05/54 से शम्भूसिंह, उम्मेदसिंह, भरतसिंह, चतरसिंह, लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज होने का नोट अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2013–16/59 अनुसार ग्राम सुमेरपुरा में

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

ख0सं0 11 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा भूमि खाता सरकार उपकृषक शम्भूसिंह, उम्मेदसिंह, भरतसिंह, चतरसिंह, लक्ष्मणसिंह पुत्रान औंकारसिंह जाति राजपूत सा0 खातौली हि0ब0 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सुमेरपिुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 के खाता सं0 13 में दर्ज काश्तकार ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम सुमेरपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2011–14 के खाता सं0 64 में औंकारसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति राजपूत सा0 खातौली के नाम से पूर्व माफी शब्द अंकित है। ग्राम सुमेरपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2013–16 के खाता सं0 59 में औंकारसिंह के वारिसान शम्भूसिंह, उम्मेदसिंह, भरतसिंह, चतरसिंह, लक्ष्मणसिंह के नाम से पूर्व खाता सरकार उपकृषक दर्ज रिकॉर्ड है एवं वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के खाता सं0 13 में कृषकों के नाम से पूर्व खाता सरकार उपकृषक दर्ज है। अतः ग्राम सुमेरपुरा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता सं0 13 में ख0सं0 55 रकबा 1.08है0, ख0सं0 58 रकबा 1.03है0, ख0सं0 59 रकबा 0.84है0, ख0सं0 60 रकबा 1.1है0, ख0सं0 61 रकबा 0.93है0, कुल किता 5 कुल रकबा 5.07है0 भूमि पर दर्ज कृषक नन्दसिंह, विरेन्द्र सिंह, विष्णुकंवर, शिवराजसिंह पुत्रान आनन्दकंवर, लाजकंवर पुत्रियां भंवरबाई पत्नि स्व0 चतरसिंह हि0 7/35 करणसिंह, भगवानसिंह, भंवरसिंह, मोहनसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रान ज्ञानकुंवर निर्मलकुंवर पुत्रिया भंवरबाई पत्नि स्व0 शम्भूसिंह हि0 8/40 दिलीपसिंह पुत्र गजराजकुंवर, तेजकंवर, फूलकंवरबाई, सज्जनकुंवर, सुमेरकुंवर पुत्रियां गुलाबाई पत्नि स्व0 उम्मेदसिंह हि0 7/35 दीपाबाई, द्रोपदीबाई, प्रेमलता पुत्रियां भरतसिंह हि0 3/15 लक्ष्मणसिंह पुत्र औंकारसिंह जाति राजपूत सा0देह के नाम से पूर्व दर्ज खाता सरकार उपकृषक शब्द हटवाना चाहते है।

वाद पत्र तथा जवाब सरकार के आधार निम्न तनकीयात् कायम की गई–

1. आया वाके ग्राम सुमेरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज0) में स्थित नवीन खसरा संख्या 55 रकबा 1.08है0, खसरा संख्या 58 रकबा 1.03है0, खसरा सं0 59 रकबा 0.84है0, खसरा सं0 60 रकबा 0.93, खसरा सं0 61 रकबा 1.19है0, कुल किता 5 कुल रकबा 5.07है0 कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रति0 1 ता 20 के नाम के आगे दर्ज खाता सरकार उपकृषक शब्द राजस्व रिकॉर्ड में हटवाकर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू 1 दिलीपसिंह तथा पी–डब्ल्यू 2 करणसिंह के शपथ पत्र बाबत साक्ष्यवादी प्रस्तुत किए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2011 से 14 वाके सुमेरपुरा प्रदर्श पी 3 नकल जमाबन्दी संवत 2041 से 60 ग्राम सुमेरपुरा प्रदर्श पी 4 नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 79 ग्राम सुमेरपुरा खाता

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

संख्या नया 27 पुराना 31 प्रदर्श पी 5, प्रदर्शित कराए गए तथा लगान रसीदो की फोटौकॉपी पेश की गई जो शामिल मिसल किए गए।

बहस वकील वादीगण सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा जवाब सरकार का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में विवादित बताई गई भूमि में अंकित ''खाता सरकार उपकृषक'' को राजस्व अभिलेख से हटाने के लिए तथा वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 20 को खातेदार घोषित करने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जवाब सरकार वादग्रस्त आराजी संवत 2011–2014 की जमाबन्दी में माफी औंकारसिंह पुत्र जीवनसिंह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबन्दी में नामान्तरणकरण संख्या 25 दिनांक 22/5/1954 से, शम्भूसिंह, उम्मेदसिंह, भरतसिंह, चतरसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्रान औंकारसिंह के नाम नामान्तरकरण होना अंकित है। मुताबिक जवाब सरकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 ता 20 का ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। जमाबन्दी में ''खाता सरकार उपकृषक'' किस कारण दर्ज है, यह स्पष्ट करना तहसीलदार पीपल्दा तथा पैरोकार सरकार का दायित्व था। परंतु तहसीलदार पीपल्दा तथा सरकार पैरोकार द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ''खाता सरकार उपकृषक'' जमाबन्दी में क्यों दर्ज है तथा सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा ''उपकृषक'' शब्द हटाए जाने बाबत भी कोई आपत्ति नहीं की है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 20 के पूर्वजों के नाम की जमाबन्दी में अंकन हो रहा है। अतः वैसे भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 20 विवादित आराजी के खातेदार कृषक हो गए है। इसलिए उपरोक्त विवेचना के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 20 विवादित आराजी के खातेदार कृषक घोषित किए जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 ग्राम सुमेरपुरा की खसरा नं0 55 रकबा 108 है0 ख0नं0 58 रकबा 1.03है0, ख0नं0 59 रकबा 0.84है0, ख0नं0 60 रकबा 0.93है0, ख0नं0 61 रकबा 1.19है0, कुल किता 5.07है0 कृषि आराजी के राजस्व रिकॉर्ड पर से ''खाता सरकार उपकृषक'' अंकन को विलोपित किया जाकर वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 ता 20 को स्पष्ट रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा
इटावा

(149)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– नीता वसीटा (आर.ए.एस)

1. शिवराजसिंह पुत्र श्री चतरसिंह उम्र 64 वर्ष जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
2. दिलीपसिंह पुत्र श्री उम्मेंदसिंह उम्र 57 वर्ष जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
3. करणसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

– वादी

बनाम

1. श्रीमति आनन्दकवंर पुत्री श्री चतरसिंह पत्नि श्री भंवरसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी दावदकलां तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ राज0।
2. गजराज कुंवर पुत्री श्री उम्मेंदसिंह पत्नि श्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी पवालिया जयपुर तह0 सांगानेर जिला जयपुर ।
3. ज्ञानकवंर पुत्री श्री शम्भूसिंह पत्नि श्री विरेन्द्र जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी मेंला ग्राउन्ड के पास रेलवे स्टेशन के पास श्योपुर जिला श्योपुर एम0पी।
4. तेजकंवर पुत्री श्री उम्मेंदसिंह पत्नि श्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी पवालिया जयपुर तह0 सांगानेर जिला जयपुर राज0।
5. द्रोपदी पुत्री श्री भरतसिंह जाति राजपूरत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. दीपाबाई पुत्री श्री भारतसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
7. नन्दसिंह पुत्र श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी 14 बंजरग विहार नहर के पास बोरखेडा कोटा राज0।
8. निर्मल कुंवर पुत्री श्री शम्भूसिंह पत्नि श्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी चन्द्रलाय तह0 फागी जिला जयपुर राज0।
9. प्रेमलता पुत्री श्री भारतसंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
10. फुलकंवर बाई पुत्री श्री उम्मेंदसिंह पत्नि श्री करणसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी मोहन जी की बगीची श्योपुर जिला श्योपुर एम0प0।
11. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी गढ़ के पास खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

12. भंवरसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी बछेरी पोस्ट आवदा तह0 श्योपुर जिला श्योपुर एम0पी0।
13. मोहनसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह जाति राजपूत खातौली उपतह0 हनुमान मंदिर के पास खातोली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
14. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी गढ के पास खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
15. मृतक लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली जर्ये कायममुकाम

15/1. दौलतकंवर (पुत्री) पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी झकनावदा तह0 पेटलावर जिला झाबुआ एम0पी0।

15/2. बृजराजसिंह (पुत्र) लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी खातोली हाल निवासी बापू कॉलोनी कुन्हाडी कोटा राज0।

15/3. प्रवीण कंवर (पुत्री) पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बोरखेडा कोटा राज0।

15/4. बृजेशसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

15/5. विष्णुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

15/6. किशनसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

15/7. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

15/8. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

16. लाज कवंर उर्फ ताज कंवर पुत्री श्री चतरसिंह पत्नि श्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निासी खातौली हाल निवासी फाटक के पास रामगंजमंडी जिला कोटा राज0।
17. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी गोयन्दा तह0 रामगंजमंडी जिला कोटा राज0।
18. विष्णु कंवर पुत्री श्री चतरसिंह पत्नि श्री रणजीत सिंह झाला एएसआई जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड के पास झालावाड़ राजव।
19. सज्जनकंवर बाई पुत्री श्री उम्मेंदसिंह पत्नि गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली हाल निवासी मोहनजीकी बगीची श्योपुर एम0प0।
20. मृतक सुमेंर कुंवर पुत्री श्री उम्मेंदसिंह राजपूत निवासी खातौली जर्यो कायममुकाम

20/1. विजयसिंह पुत्र श्री समुद्रसिंह जाति राजपूत निवासी पुराने थाने के सामने विज्ञान नगर कोटा म0न0 14/2 जिला कोटा राज0।

20/2. देवराजसिंह पुत्र श्री समुद्रसिंह जाति राजपूत निवासी पुराने थाने के सामने विज्ञान नगर कोटा म0न0 14/2 जिला कोटा राज0।

20/3. कमलेश पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी चौथमात मंदिर के पास दादाबाड़ी कोटा राज0।

20/4. सतोंश कंवर पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मालवीय नगर मकान न0 46 बूदीं जिला बूदीं राज.।

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज0।

(151)

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 ग्राम सुमेरपुरा की खसरा नं0 55 रकबा 108 है0 ख0नं0 58 रकबा 1.03है0, ख0नं0 59 रकबा 0.84है0, ख0नं0 60 रकबा 0.93है0, ख0नं0 61 रकबा 1.19है0, कुल किता 5.07है0 कृषि आराजी के राजस्व रिकॉर्ड पर से ''खाता सरकार उपकृषक'' अंकन को विलोपित किया जाकर वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 ता 20 को स्पष्ट रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक .... करे जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			**स्टाम्प अर्जी दावा**		
मुद्दई	रूपये	पैसे	**मुदायलह**	रूपये	**पैसे**
स्टाम्प वकालतनामा			**स्टाम्प अर्जी**		
स्टाम्प वजूह सबूत			**स्टाम्प अर्जी**		
मेहनताना **वकील**			मेहनताना **वकील**		
खर्चा **गवाहान**			**खर्चा गवाहान**		
बाबत इजराय हुक्मनामा			**बाबत इजराय हुक्मनामा**		
मुत0			**मुत0**		
मिलान			**मिलान**		

उपखण्ड **अधिकारी**

इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा